

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Restoration Application No. 466/2024

Smt. Nihal Kanwar W/o Late Balveer Singh, Aged About 47 Years, Resident Of Kaniya, Tehsil Hurda, District Bhilwara At Present C/o Laxmi Devi Jain, Jain Jyoti Colony, House Number 14, Sanganer Road, Bhilwara.

----Petitioner

Versus

1. Manphool Kanwar (Dead), W/o Gokal Singh, Through Lrs-
2. Monika Kanwar D/o Late Sh. Balveer Singh, Residents Of Sadara Kekadi, Tehsil Kekadi, District Ajmer.
3. Pooja Kanwar D/o Late Sh. Balveer Singh, Residents Of Sadara Kekadi, Tehsil Kekadi, District Ajmer.
4. Kashish Kanwar D/o Late Sh. Balveer Singh, Aged About 15 Years, Through Grand Mother Manphool Kanwar W/o Gokal Singh. Residents Of Sadara Kekadi, Tehsil Kekadi, District Ajmer.
5. Spin Fed, Spinning Unit, Gulabpura, District Bhilwara Through Manager
6. Superintendent, Employee State Insurance Department, Pratapangar High Secondary School Ke Paas, Bhilwara
7. Regional In-Charge, Provident Fund Organization, Chitrakut Nagar Bhawan, Udaipur
8. General Public, General Public

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Harsh Purohit

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/05/2026

यह प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.08.2024 एवं उसके अनुसरण में अपील को निरस्त किए जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 07.10.2024 को अपास्त किए जाने एवं एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 686/2024 श्रीमती

निहाल कंवर—बनाम—मनफूल कंवर को पुनः नंबर पर लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अपील को पुनः नंबर पर लेने के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रकट किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को तामील से शेष रहे प्रत्यर्थीगण की तामील हेतु दो सप्ताह में आदेशिका शुल्क, नोटिस पेश नहीं करने पर अपील स्वतः निरस्त समझे जाने का आदेश दिया गया था, जिसके अनुसरण में पंजीयक (न्यायिक) द्वारा दिनांक 07.10.2024 को उनकी मूल अपील निरस्त कर दी। उन्होंने प्रकट किया कि न्यायालय आदेश की सूचना वकील साहब को नहीं हो सकी थी इसलिए वे नोटिस समय पर पेश नहीं कर सके। उनका कहना है कि अब वे दो सप्ताह में पीएफ नोटिस पेश कर देंगे।, ऐसी स्थिति में उनका प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर मूल अपील को पुनः नंबर पर लिया जावे।

तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आदेशिका शुल्क एवं नोटिस नहीं करने के बताए गए कारण, तथा दो सप्ताह में आदेशिका शुल्क नोटिस पेश करने सम्बन्धी आश्वासन आदि के तथ्यों को देखते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्कों के प्रकाश में न्यायहित में उनका यह प्रार्थना-पत्र **तीन हजार रुपये हर्जे** पर स्वीकार किया जाता है तथा एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 686/2024 को पुनः उसके मूल नंबर पर संस्थित किए जाने का आदेश दिया जाता है।

हर्जे की राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर में जमा करवाए जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को, प्रत्यर्थीगण जो तामील से शेष रहे हैं, की तलबी हेतु दो सप्ताह में आवश्यक आदेशिका शुल्क एवं नोटिस मय अतिरिक्त प्रति पेश करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J